तारीख हुक्म	**हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज** **न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश, नाथद्वारा** प्रकरण संख्या : 24 / 2014 ई.दी. मैसर्स सुल्तान एक्सपलोजिव बनाम अजीज खां (1/3) आदेश दिनांक : 11.09.2025	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

11.09.2025

वकुलाय फरीकेन उपस्थित।

विद्वान् अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र वादी से एम.एस. खान के नाम से एक्सप्लोजिव का लाईसेंस तलब कराने बाबत् पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

दौराने बहस विद्वान् अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 2 ने अपने उक्त प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया और मुख्य रूप से यह कथन किया कि प्रतिवादी ने एम.एस. खान के नाम से लाईसेंस की प्रति ऑनलाईन प्राप्त कर पेश की है जिसका असल लाईसेंस वादी के आधिपत्य में है। वादी ने भी अपनी जिरह में यह स्वीकार किया है कि एम.एस. खान के नाम का लाईसेंस जारी हुआ जो उसके आधिपत्य में है। वादी से उक्त दस्तावेज तलब कराया जाकर न्यायालय में प्रस्तुत कराया जाना आवश्यक है जिससे न्याय निर्णयन में सुगमता रहेगी। यह तर्क देते हुये प्रार्थना पत्र स्वीकार कर उक्त दस्तावेज को वादी से तलब करवाये जाने का निवेदन किया।

इसके विपरीत विद्वान् अधिवक्ता वादीगण ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया और मुख्य रूप से यह कथन किया कि वादी संख्या 1 का वादग्रस्त सम्पत्ति के अलावा जो व्यवसाय कर रहा है उसका एक्सप्लोजिव का लाईसेंस एम.एस. खान के नाम का है जिसका वादग्रस्त सम्पत्ति से कोई संबंध नहीं है। एम.एस. खान के नाम से लाईसेंस जारी हुआ उसके दस्तावेज एवं अन्य कागजात कहीं गुम हो जाने से असल मिलने की कोई संभावना नहीं है एवं काफी तलाश करने के बाद भी असल अथवा फोटोकॉपी मिलने की कोई संभावना नहीं है। प्रतिवादी पक्ष द्वारा मात्र प्रकरण में विलम्ब कारित करने के आशय से उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया। यह तर्क देते हुये प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया।

उभय पक्षकारान के परस्पर विरोधी तर्कों पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादीगण ने प्रतिवादीगण के विरूद्ध हस्तगत वाद दिलाये जाने कब्जा जायदाद एवं स्थायी

अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश
नाथद्वारा (राजसमन्द)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश, नाथद्वारा** प्रकरण संख्या : 24/2014 ई.दी. मैसर्स सुल्तान एक्सपलोजिव बनाम अजीज खां **(2/3)** **आदेश दिनांक : 11.09.2025**	नम्बर व ता. अहकाम जो इ हुक्म की तामील में जारी हुए
	निषेधाज्ञा हेतु प्रस्तुत किया है। वादपत्र के अभिवचनों के अनुसार मैसर्स सुल्तान एक्सप्लोजिव, गुंजोल के नाम से गन पाउडर का निर्माण एवं विक्रय हेतु एक्सप्लोजिव उद्योग लगाने की कार्यवाही वादी संख्या 1 के द्वारा की गई और इस फर्म में भागीदार वादी संख्या 1 तथा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 हुए और पार्टनरशीप डीड निष्पादित हुई। तत्पश्चात् वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य विवाद उत्पन्न हुआ। दिनांक 29.10.2010 को प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने मेसर्स सुल्तान एक्सप्लोजिव, गुंजोल के भागीदारी फर्म के बाबत् रिटायरमेन्ट डीड का निष्पादन किया और दोनों ही फर्म से रिटायर हो गये। वादी संख्या 2 को उक्त फर्म में भागीदार रखने की डीड भी निष्पादित की गई। रिटयारमेन्ट डीड व फॉर्म नंबर 'ई.' रजिस्ट्रार ऑफ फर्मस् जिला राजसमन्द के समक्ष प्रस्तुत की गई जिस पर नियमानुसार कार्यवाही करते हुए प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को उक्त फर्म के भागीदार हटाकर वादी संख्या 2 को नया भागीदार नियुक्त कर भागीदारी फर्म में परिवर्तन किये जाने का आदेश पारित किया गया। प्रतिवादीगण ने वादीगण के व्यवहार का नाजायज फायदा उठाने की गरज से मैसर्स सुल्तान एक्सप्लोजिव गुंजोल की भूमि आराजी 1483/57 रकबा 5 बीघा भूमि पर जबरन बिना अधिकारपूर्ण 2/3 भाग पर दिनांक 29.10.2010 से कब्जा बनाये हुए है और वादीगण को कब्जा सुपुर्द नहीं किया और उक्त फर्म में गन पाउडर के निर्माण व विक्रय करने का व्यवसाय जारी रखे हुए हैं। प्रतिवादीगण को उक्त कार्य करने का कोई अधिकार नहीं है.... इत्यादि। वादीगण के उपरोक्त अभिवचनों का खण्डन प्रतिवादीगण की ओर से करते हुये यह कथन किया गया कि जब गन पाउडर निर्माण एवं विक्रय के लिए अनुज्ञप्ति जारी करानी थी तब वादी संख्या 1 एवं प्रतिवादीगण ने प्रतिवादी संख्या 2 को परिवार का होने से मौखिक रूप से यह तय किया था कि उक्त फर्म प्रतिवादी संख्या 2 चलावें और फर्म का नाम प्रतिवादी संख्या 2 के नाम से ही है इसलिये गन पाउडर के निर्माण एवं विक्रय हेतु लाईसेंस प्रतिवादी संख्या 2 अपने नाम से प्राप्त कर फर्म का संचालन करें जिसमें वादी अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश नाथद्वारा (राजसमन्द)	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश, नाथद्वारा प्रकरण संख्या : 24 / 2014 ई.दी. मैसर्स सुल्तान एक्सपलोजिव बनाम अजीज खां (3/3) आदेश दिनांक : 11.09.2025	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 1 को कोई आपत्ति नहीं रहेगी और वादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 1 का उक्त फर्म में अधिकार व हित नहीं रहेगा। वादी संख्या 1 ने अलग से व्यवसाय करने हेतु अपने नाम सलीम खां पिता अजीज खां के नाम से बड़ारडा में गन पाउडर एवं फायर वर्क्स का व्यवसाय करने हेतु गुप्त रूप से लाईसेंस दिनांक 08.11.1981 में ही प्राप्त कर रखा था।

पक्षकारान के अभिवचनों एवं पक्षकार के मध्य उत्पन्न हुए विवाद के न्यायोचित निस्तारण के लिये एम.एस. खान के नाम से जो लाईसेंस जारी हुआ जिसे वादी ने जिरह में स्वयं के आधिपत्य में होना स्वीकार किया है, को न्यायालय में तलब करवाया जाना न्यायोचित है। यदि वादी से उक्त लाईसेंस को तलब करवाया जाता है तो निश्चित रूप से पक्षकारान के मध्य उत्पन्न हुए विवाद के न्याय निर्णयन में मदद मिलेगी। अतः प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से प्रस्तुत किया गया उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वादी को निर्देशित किया जाता है कि वह आगामी पेशी पर उक्त लाईसेंस असल न्यायालय में लेकर उपस्थित हों। यदि उक्त लाईसेंस वादी के पॉवर ण्ड पजेसन में नहीं है तो इस आशय का शपथ पत्र पेश करें।

पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी हेतु दिनांक 18.09.2025 को पेश हो।

अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश
नाथद्वारा (राजसमन्द)